कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ14( )2011/एफसीए/प्रमुवसं/ दिनांकः

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक(केन्द्रीय)
पर्यावरण एंव वन मंत्रालय,
क्षैत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र) भारत सरकार,
केन्द्रीय-भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज,
लखनऊ-226024 (उ0 प्र0)

विषयः-डायवर्जन ऑफ 4.798 है0 फोरेस्ट लैण्ड फोर चंबल भीलवाड़ा वाटर प्रोजेक्ट ।
संदर्भः-आपके कार्यालय का पत्रांक 8 बी/राज/08/16/2012/ एफसी/917 दि. 31.10.12

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, कोटा एंव उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा एंव वन संरक्षक,उदयपुर के पत्रांक क्रमशः 1001 दिनांक 28.2.13, 2291 दि. 27.2.13 एंव 324 दि. 9.1.13 से वांछित बिन्दुवार सूचना प्राप्त हुई है :-

1. बिन्दु 1 के क्रम में प्रस्तावित क्षेत्र रिजर्व फोरेस्ट है ।
2. बिन्दु 2 एवं 6 के क्रम में पातन होने वाले वृक्षों की संख्यॉ 1007 है।
3. प्रस्तावित 4.798 है0 गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना मॉडल कास्ट व मानचित्र संलग्न है।
4. अन्य विकल्पों को निरस्त करने के कारण/टिप्पणी संलग्न है।
5. प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई गैर वानिकी/कंस्ट्रक्शन कार्य नहीं करने बाबत यूजर एजेंसी की अण्डरटेकिंग संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार प्राप्त सूचना आपको अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः-उक्तानुसार।

भवदीय,
ह0
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वनसुरक्षा एंव नोडल अधिकारी,एफसीए.
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ14( )2011/एफसीए/प्रमुवसं/ 3509-15 दिनांकः 5/4/13

प्रतिलिपिः-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, कोटा/उदयपुर/अजमेर ।
2. उप वन संरक्षक, वन्यजीव, कोटा/चित्तौड़गढ़/भीलवाड़ा ।
3. अधिशाषी अभियंता, PHED, चंबल भीलवाड़ा परियोजना, [illegible] भीलवाड़ा।

10 APR 2013

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वनसुरक्षा एंव नोडल अधिकारी,एफसीए.
राजस्थान, जयपुर

90

Annex-1

(1/2)

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)

पंचम तल, केन्द्रीय भवन
सैक्टर एच, अलीगंज
लखनऊ–226024
टेलीफैक्स–0522–2326696

दिनांक: 23.04.2013

पत्र सं० 8 बी/राज0/03/18/2012/एफ.सी. /105

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
सिविल सचिवालय
राजस्थान शासन जयपुर।

विषय : चम्बल भीलवाड़ा पेय जल परियोजना हेतु 4.798 हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन बाबत।

सन्दर्भ : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर का पत्रांक– एफ 14( )2011/एफसीए/प्रमुवसं/3408, दिनांक– 05.04.2013

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासन सचिव, राजस्थान सरकार,राजस्थान का पत्रांक प01(61)वन/2012, दिनांक 03.10.2012 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा(2) के तहत स्वीकृति माँगी गयी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 31.10.2012 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालना प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित की गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार चम्बल भीलवाड़ा पेय जल परियोजना हेतु 4.798 हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन एवं 1007 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है।

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात 4.798 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इसे छः माह मे आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित् वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।

3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566/पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र सं0 एफ0एन0. 5–3/2007/एफ0सी दिनांक 05.02.2009 दिशानिर्देश में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

4. भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या सी0ए0–1551, कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 मे जमा की जाएगी।

5. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर प्रस्तावित वन क्षेत्र का चारउर्दी पीलर द्वारा सीमांकन किया जायेगा जिसका अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र मे लगे प्रत्येक पीलर के आगे एवं पीछे उनकी दिशा भी लिखनी होगी। इसकी जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ही विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

6. [illegible] डालने हेतु खुदाई के पश्चात [illegible] को ठीक प्रकार से उसी जगह पर भरा जाएगा एवं शेष मलबे को सुरक्षित स्थान पर निस्तारित किया जाएगा।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या [illegible] भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय [illegible] लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 मे जमा [illegible]

विवरण (एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण, कैचमैन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान (कैट प्लान), मार्ग/प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण, मलबा निस्तारण, बाउन्ड्री पीलर द्वारा सीमांकन तथा अन्य हेतु जमा धनराशियों का विवरण) तथा जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति (जिसमें जारी करने वाले बैंक का नाम, शाखा एवं दिनांक स्पष्ट रूप से अंकित हो) प्रस्तुत की जाएगी तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

8. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक– 11-9/98-FC, Dated- 08-07-2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू–संदर्भित डिजीटल डाटा /मानचित्र प्रस्तुत करें जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (.shp) फाइल में दर्शाया गया हो।

9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा एवं प्रस्तावित वृक्षों के पातन के अतिरिक्त अन्य किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।

10. प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि मे कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।

11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र मे प्रस्ताव की लागत का 5 प्रतिशत धनराशि राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभयारण्य के रख–रखाव एवं संरक्षित करने हेतु जमा की जाएगी।

भवदीया,

(प्राची नगदार)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वन महानिदेशक (एफ.सी) पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. कामप्लेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन, वानिकी पथ, जयपुर, राजस्थान ।
3. उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, भीलवाड़ा, राजस्थान।
4. मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, कोटा, राजस्थान।
5. अधिशाषी अभियन्ता, जल स्वा0 अभि0 विभाग, चम्बल भीलवाड़ा परियोजना, खण्ड–प्रथम, भीलवाड़ा, राजस्थान।
6. आदेश पत्रावली ।

(प्राची नगदार)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

(12)

87 92

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग
चम्बल भीलवाडा परियोजना खण्ड–II, रावतभाटा

क्रमांकः /अधि.अभि./सी.बी.पी.II/व.भू./2013–14/ 534-549 दिनांकः– 30-09-2013

Ar Pae 1 (Ph. 1)

उप वन सरक्षंक (वन्य जीव)
मुकन्दरा राष्ट्रीय उधान
कोटा/भीलवाडा/चितौडगढ।

विषय : चम्बल–भीलवाडा पेयजल परियोजना हेतु 4.798 हैं0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन बाबत।
सन्दर्भः उप वन सरक्षक (केन्द्रीय) क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) के पत्र स0 8 बी/राज0/08/18/2012/एफ.सी./105 दिनांक 23.04.13 (Annex.-1), इस कार्यालय का पत्र कमांकः/अधि.अभि./सी.बी.पी.II/व.भू./2013–14/ 266–81 दिनांकः–26.06.13 (Annex.-2), उप वन सरंक्षक कोटा के पत्र कमांक कमशः 2646 दिनांक 22.05.13, (Annex.-3) 3787 दिनांक 31.07.13(Annex.-4) एंव 5323 दिनांक 26.09.13(Annex.-5), भीलवाडा के पत्र कमांक 5097 दिनांक 7.05.13(Annex.-6) एंव 11519 दिनांक 04.09.13(Annex.-7), चितौडगढ के पत्र कमाक 6072 दिनांक 27.05.13(Annex.-8), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान (HOFF) जयपुर पत्रांक 7972–78 दिनांक 02.09.13(Annex.-9)

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रो के द्वारा भारत सरकार के वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षैत्र), लखनऊ का पत्र कमांक 105 दिनांक 23.04.13 की प्रति इस कार्यालय को प्रेषितकर अधिरोपित सैद्धान्तिक शर्तो की ठोस पालना भिजवाने वास्ते लिखा गया है, जिसके सम्बन्ध में सूचना बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित है:

1. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानो पर यथोचित वृक्षारोपण तथा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0 पी0 वी0) की राशि निम्नानुसार राजस्थान केम्पाफण्ड खाता संख्या 037100101025225 में आर0 टी0 जी0 एस0 द्वारा दिनांक 13.06.13 (Annex.-10) एंव 28.09.13 (Annex.-11) को जमा करा दिया हैं (प्रति सलंग्न है)।

क्र सं.	वन क्षैत्र का नाम	प्रभावित वन क्षैत्र है0 मे	मद	जमा कुल राशि (रू) दि. 13.6.13	जमा कुल राशि (रू) दि. 28.09.13	जमा कुल राशि (रू)	विशेष विवरण
1	वन्य जीव कोटा	3.448 है0	1 क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण राशि	348489	96993	445482	उप वन संरक्षक (वन्य जीव) कोटा ने अपने पत्र दिनांक 22.05.13 के द्वारा वन क्षैत्र कोटा के साथ,वन क्षैत्र चितौडगढ की वन भूमि(0.878 है0) भी सम्मिलित कर राशि जमा करने वास्ते लिखा है इसलिए वन क्षैत्र चितौडगढ द्वारा मांग की राशि अलग से नही दर्शाई गई है।
			2 यथोचित वृक्षारोपण राशि	4063500	1336500	5400000	
			3 शुद्ध वर्तमान मूल्य राशि	2158448	8633792	10792240	
			योग	6570437	10067285	16637722	
2	भीलवाडा	1.35 है0	1 क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण राशि	136445	37407	173852	
			2 यथोचित वृक्षारोपण राशि	1219050	400950	1620000	
			3 शुद्ध वर्तमान मूल्य राशि	845100	–	845100	
			योग	2200595	438357	2638952	
	कुल योग	4.798 है0	1 क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण राशि	484934	134400	619334	
			2 यथोचित वृक्षारोपण राशि	5282550	1737450	7020000	
			3 शुद्ध वर्तमान मूल्य राशि	3003548	8633792	11637340	
			योग	8771032	10505642	19276674	

नामान्तरण किया जा चुका है (3.29 है0 भूमि पटवार सर्किल भैसरोडगढ (Annex.-12), 0.18 है0 भूमि पटवार सर्किल श्रीपुरा(Annex.-13), तहसील रावतभाटा, जिला चितौडगढ द्वारा दिनांक 25.07.13 को किया गया तथा 8.07 बीघा पटवार सर्किल ग्राम दानपुरा (Annex.-14), पटवार क्षेत्र गुढा तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा की भूमि को दिनाक 02.08.13 को वन विभाग के पक्ष मे हस्तानान्तरण एव नामान्तरण किया गया : जमा बन्दी (खतौनी) की प्रतिया (Annex.-12,13,14) सलग्न है)। इस प्रकार बिन्दु सख्या 1 की पूर्ण पालना की जा चुकी है।

99.

2. प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानो पर यथोचित वृक्षारोपण हेतु मांग की गई राशि रू 7020000 बिन्दु संख्या एक में दर्शाई गई तालिका की राशि में सम्मिलित है जो जमा कराई जा चुकी है। इस प्रकार बिन्दु संख्या 2 की पूर्ण पालना की जा चुकी है।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की मांग की राशि रू 11637340 बिन्दु संख्या एक में दर्शाई गई राशि तालिका में सम्मिलित है जो जमा कराई जा चुकी है। इस प्रकार बिन्दु संख्या 3 की पूर्ण पालना की जा चुकी है।
4. वाच्छित राशि राजस्थान केंम्पाफण्ड खाता संख्या 037100101025225 में आर. टी.जी. एस. द्वारा राशि रू 19276674 दिनांक 13.06.13 एंव दिनाक 28.09.13 को बिन्दु संख्या 1 मे वर्णित तालिका अनुसार जमा करा दिया गया है। इस प्रकार बिन्दु संख्या 4 की पूर्ण पालना की जा चुकी है।
5. बिन्दु सख्या पांच के कम में उप वन संरक्षक (वन्य जीव) मुकन्दरा राष्टीय उधान कोटा के पत्रांक 3787 दिनांक 31.07.13 (Annex.-4) की अनुपालना मे वन क्षेत्र से गुजरने वाली पाईप लाईन के मार्ग पर 100 मीटर के स्केटर्ड मैनर में लगभग 4 फुट लम्बाई , 1.25 फुट चौडाई तथा 1.5 फुट जमीन के अन्दर गाडते हुये प्रत्येक पीलर पर बढते कम मे जी.पी.एस. लोकेशन पीलर के आगे व पीछे लिखवा दिया है जिनका सत्यापन वन विभाग के मनोनीत प्रतिनिधियो द्वारा कर लिया है (वन पाल नाका प्रभारी श्रीपुरा, उप वन संरक्षक, मुकन्दरा राष्टीय उधान कोटा रनेज (Annex.-15), नाका प्रभारी वन पाल नाका लोठियाना, उप वन सरंक्षक चितौडगढ की रेन्ज बौराव (Annex.-16), सहायक वन पाल नाका तिलस्वा, उप वन सरक्षक भीलवाडा की रेन्ज माण्डलगढ (Annex.-17)। इस प्रकार बिन्दु सख्या 5 की पूर्ण पालना की जा चुकी है।
6. विभाग इस शर्त से सहमत है तथा इसी के अनुरूप कार्य करवाया जावेगा ।
7. आपके द्वारा मांग की गई वाच्छित राशि राजस्थान केंम्पाफण्ड खाता संख्या 037100101025225 में आर. टी.जी.एस. द्वारा कुल राशि रू 19276674 दिनांक 13.06.13 एंव दिनाक 28.09.13 को बिन्दु सख्या 1 मे वर्णित तालिका अनुसार मदवार जमा करा दिया गया है। इस प्रकार बिन्दु सख्या 7 की पूर्ण पालना की जा चुकी है।
8. भूसन्दर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र नक्शे पर बाउन्डी पीलर मार्क की जा चुकी है एवं इनकी .kml file एवं .shp file भी बनवा दी है जो सलंग्न सी.डी. मे उपलब्ध है एवं कमशः गुगलअर्थ एवं जी.आई. एस. सॉफटवेयर पर देखा जा सकता है। सुलभ सन्दर्भ हेतु ए3 साईज के पेपर पर .shp file प्रिन्ट प्रति सलग्न है (Annex.-18)। इस प्रकार बिन्दु सख्या 8 की पूर्ण पालना की जा चुकी है।
9. विभाग इस शर्त से सहमत है।
10. जिला कलेक्टर चिताडैगढ का पत्र कमांक 994 दिनांक 29.06.12 (Annex.-19) एंव जिला कलेक्टर भीलवाडा का पत्र कमाक 3000 दिनांक 3.9.2012 (Annex.-20) की फोटो प्रतियां संलग्न है, जिसमें इस आशय के प्रमाण पत्र का उल्लेख है। इस प्रकार बिन्दु सख्या 10 की पूर्ण पालना की जा चुकी है।
11. उप वन सरंक्षक कोटा की मांग के अनुरूप वाच्छित राशि रूपये 295417000 मार्च 2012 (105317000+190100000) में जमा करा दिया था (आर.टी.जी.एस. की फोटो प्रतिया (Annex.-21,22) संलग्न है)। इस प्रकार बिन्दु सख्या 11 की पूर्ण पालना की जा चुकी है।

अतः वन एंव पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से विधिवत वाच्छित स्वीकृति प्रदान करवाने हेतु अग्रिम अपेक्षित कार्यवाही कर अनुग्रहीत करे।

सलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(उदयभानु माहेश्वरी)
अधिशाषी अभियन्ता
चम्बल भीलवाडा परि0 खण्ड–द्वितीय
रावतभाटा

क्रमांकः/अधि.अभि./सी.वी.पी.II/व.भू./2013–14/534-549 दिनांकः– 30-09-2013
प्रतिलिपि आपके स्तर से अपेक्षित अग्रिम कार्यवाही वास्ते प्रेषित हैं:

1. उप वन संरक्षक (केन्द्रीय) वन एंव पर्यावरण मंत्रालय क्षैत्रीय कार्यालय (मध्य क्षैत्र) सेक्टर एव अलीगंज लखनऊ –226024 को पत्रांक दिनांक 23.04.13 की पालना के कम मे प्रेषित प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही वास्ते प्रेषित है।
2. शासन सचिव वन विभाग राज0 जयपुर को अग्रिम कार्यवाही वास्ते प्रेषित है।
3. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन सुरक्षा एंव नोडल अधिकारी एफ. सी. ए. राज0 जयपुर अनुपालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही वास्ते प्रेषित है।
4. जिला कलेक्टर चितौडगढ/भीलवाडा।
5. मुख्य अभियंता (वि0 परि0) जन स्वा0 अभि0 विभाग जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (परि0) जन स्वा0 अभि0 विभाग अजमेर।
7. अधीक्षण अभियंता (परि0) जन स्वा0 अभि0 विभाग अजमेर।
8. मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव कोटा/उदयपुर/अजमेर।
9. अधि0 अभि0 चम्बल भीलवाडा परि0 खण्ड–I भीलवाडा/अधि0 अभि0 बीसलपुर परि0 फैज–II खण्ड –II केकडी।

(उदयभानु माहेश्वरी)
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वा0 अभि0 विभाग
चम्बल भीलवाडा परि0 खण्ड–द्वितीय
रावतभाटा

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ14( )2011 / एफसीए / प्रमुवसं /   दिनांकः

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक(केन्द्रीय)
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र) भारत सरकार
केन्द्रीय भवन पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज
लखनऊ 226024 (उ0 प्र0)

विषयः [illegible] हेतु [illegible] हैक्टे. [illegible] का प्रत्यावर्तन।
संदर्भः--आपके कार्यालय का पत्रांक 8 बी/राज/03/18/2012/एफसी/1243 दि. 25.10.13

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिससे पूर्व में प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति दि. 23.4.13 को निरस्त किया जाकर [illegible] इस प्रस्ताव को पुनः राज्य स्तरीय सलाहकार समूह की बैठक में [illegible] गया है। अतः निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव को पुनः [illegible] हेतु आगामी भविष्य में होने वाली राज्य स्तरीय सलाहकार समूह की मीटिंग में शामिल करने का कष्ट करें। साथ ही एन.एच.ए.आई. के पक्ष में प्रत्यावर्तित वनभूमि की स्वीकृति दि. 17.2.2006 (जिसकी प्रति प्रस्ताव के [illegible] पर संलग्न है) की [illegible]।

संलग्नः उपरोक्तानुसार   भवदीय

ह0
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वनसुरक्षा एवं नोडल अधिकारी,एफसीए
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ14( )2011 / एफसीए / प्रमुवसं / 1997-99   दिनांकः [illegible]

प्रतिलिपि [illegible] को भारत सरकार के [illegible] की प्रतिलिपि संलग्न कर लेख है कि [illegible] ने सैद्धान्तिक स्वीकृति दि. 23.4.13 को निरस्त कर दिया है। अतः मौके पर [illegible] उल्लंघन न हो [illegible] सुनिश्चित की जावे।

1. मुख्य वन संरक्षक, [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

ह0
[illegible]
वनसुरक्षा एवं नोडल अधिकारी,एफसीए
राजस्थान, जयपुर

SAG Meeting dtd. 19.12.2013

(17) (92) 103

Diversion of 4.798 ha and re-diversion of 3.6 ha of Forest area for Laying of MS pipe line from Bhaisrodgarh to Bunjar Khurd & 33 KV T/L from Rawat Bhata to Bhaisordgarh under Chambal-Bhillwara water supply project in favour of PHED

District	Forest Division	Forest area for diversion	Forest area for rediversion
Bhilwara	Bhilwara	1.350 ha (PF)	3.60 ha (NH-76) (PF)
Chittorgarh	Chittorgarh	0.878 ha (RF)	0.00
Chittorgarh	MNP Kota	2.570 ha (RF)	0.00
Total		4.798 ha	3.60 ha

The proposal for laying out Chambal - Bhilwara water supply project was discussed on 19.12.13 in SAG. The proposed project / pipe line passing through Bhilwara and Chittorgarh district including Bhilwara, Chittorgarh and MNP Kota (earlier known as Kota WL) forest divisions. The forest area involved is ~~AE~~ 3. as above is amounting total 8.398 ha out of which 4.798 ha is for fresh diversion and 3.60 ha for rediversion of forest land which was already diverted to NHAI by GOI letter No. 8-99/2004-FC dated 17.2.2006 for NH-76. The NHAI has given consent for rediversion vide letter No. NHAI/PIU/CHT/water pipe line/73 date 17.1.2013. The user agency has provided 4.798 ha NFL which is also mutated in favour of Forest dept. Project passing through Jawhar Sagar WLS for which permission from NBWL and Hon'ble S.C. has granted already. The proposed water supply project provide drinking water to all villages and town of Bhilwara district and about 26 lakh people will be benefitted. After deliberation SAG recommends the proposal for approval by the ministry.

(18)

93 104

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)

[illegible]

पत्र सं० 8 बी / [illegible] / 06 / 18 / 2012 / एफ सी / 1556

दिनांक: [illegible]

सेवा में,

[illegible]

विषय : [illegible] परियोजना हेतु 4.798 हे० ([illegible] वन मण्डल [illegible] 1.350 हे० [illegible]) एन०एच०-[illegible] के पक्ष में प्रत्यावर्तित वन भूमि का (रि–डाईवर्जन) वन भूमि का प्रत्यावर्तन बाबत।

सन्दर्भ : प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान सरकार, राजस्थान का पत्रांक प01(61)वन/2012, दिनांक 05.[illegible].2012

महोदय,

[illegible]

[illegible]

1. [illegible]

2. [illegible]

NPV as applicable shall be paid for 4.95 ha. but 5 times for the area [illegible] ha. of [illegible] Sagar Wildlife Sanctuary by the user agency.

3. [illegible]

4. Atleast two water points will be constructed in forest block [illegible] DCF (Wildlife) [illegible] by user agency, to provide drinking water to wild animals. [illegible] water supply for purpose will be made by user agency [illegible] 24 hours.

5. The State Govt. will ensure that [illegible] should be used for the [illegible] purpose [illegible] commercial use.

[illegible]

6. [illegible]

19 105

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 11-0908-FC, Dated: 08.07.2013 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

मुख्य वन संरक्षक [illegible]

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

[illegible]

[illegible]

(20) (95) 168

भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
Ministry of Environment & Forests
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य क्षेत्र)
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ॥

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com. (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8 बी/राज0/08/18/2012/एफ.सी./179

दिनांक: 06.06.2014

सेवा में,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी,
अरण्य भवन, वानिकी पथ,
जयपुर, राजस्थान।

विषय : चम्बल भीलवाड़ा पेय जल परियोजना हेतु 4.798 हे0 (जनपद भीलवाड़ा– 1.350 हे0, चित्तौरगढ़ जनपद– 0.878 हे0 एवं कोटा जनपद– 2.570 हे0) वन भूमि का प्रत्यावर्तन एवं 3.60 हे0 पूर्व में जनपद भीलवाड़ा में एन0एच0ए0आई0 के पक्ष में प्रत्यावर्तित वन भूमि का रि–डाईवर्जन बाबत।

सन्दर्भ: अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी राजस्थान का पत्रांक एफ 14( )2011/वसु/प्रमुवसं/3983, दिनॉक: 02.05.2014

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर शासन सचिव, राजस्थान सरकार,राजस्थान का पत्रांक प01(61)वन/2012, दिनॉक: 03.10.2012 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने निम्नांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण के अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 29.01.2014 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें उल्लिखित शर्तों की अनुपालना अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर, राजस्थान के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचार करने के उपरान्त निम्नलिखित विसंगतियॉं पायी गयी हैं–

1. वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी भीलवाडा एवं जिलाधिकारी चित्तौड़गढ़ का निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है।

2. प्रस्तुत डिजीटल मानचित्र में स्थल Coordinates को नही दर्शाया गया है एवं डिजीटल मानचित्र राज्य के किसी सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नही है।

नोडल अधिकारी से अपेक्षा की जाती है यहॉं भेजने से पहले अपने स्तर पर कागज को जॉच लें लेकिन वे ऐसा नही कर रहे हैं जिसके कारण अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

भवदीय,

(डी0पी0 सिन्हा)
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, वन, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, भीलवाड़ा, राजस्थान।
3. मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, कोटा, राजस्थान।
4. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा0 अभि0 विभाग, चम्बल भीलवाड़ा परियोजना, खण्ड–प्रथम, भीलवाड़ा, राजस्थान।
5. [illegible]

7.6.14

(डी0पी0 सिन्हा)
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (के0)

96

107

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ॥

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ- 226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) ro_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8 बी/राज0/08/18/2012/एफ.सी./1049

दिनाँक : 08.10.2014

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन जयपुर

विषय : चम्बल भीलवाड़ा पेय जल परियोजना हेतु 4.798 हे0 (जनपद भीलवाड़ा– 1.350 हे0, चित्तौरगढ़ जनपद– 3.448 हे0) वन भूमि का प्रत्यावर्तन एवं 3.60 हे0 पूर्व में जनपद भीलवाड़ा में एन0एच0ए0आई0 के पक्ष में प्रत्यावर्तित वन भूमि का रि–डाईवर्जन बावत।

सन्दर्भः अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी राजस्थान का पत्रांक एफ 14( )2011/वसु/प्रमुवसं/3983, दिनाँकः 02.05.2014 एवं एफ 14( )2011/वसु/प्रमुवसं/7655, दिनाँकः 26.09.2014

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर शासन सचिव, राजस्थान सरकार,राजस्थान का पत्रांक प01(61)वन/2012, दिनाँकः 03.10.2012 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण के अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 29.01.2014 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमे उल्लिखित शर्तों की अनुपालना अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर, राजस्थान के उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों द्वारा प्रस्तुत की गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार चम्बल भीलवाड़ा पेय जल परियोजना हेतु 4.798 हे0 (जनपद भीलवाड़ा– 1.350 हे0, चित्तौरगढ़ जनपद– 3.448 हे0) वन भूमि का प्रत्यावर्तन एवं 3.60 हे0 पूर्व में जनपद भीलवाड़ा में एन0एच0ए0आई0 के पक्ष में प्रत्यावर्तित वन भूमि का रि–डाईवर्जन एवं 1794 वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है।

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।

2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात 4.798 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी गयी 4.798 गैर वन भूमि का आबंटन वन विभाग, राजस्थान के पक्ष में हो चुका है। इसे आरक्षित वन भूमि के रूप में छः माह में अधिसूचित किया जाएगा एवं एक प्रति अभिलेख हेतु क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।

3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित् वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।

4. अगर माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि में यदि उच्च स्तर से बढ़ोत्तरी की जाती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

5. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एंव जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।

6. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

97

108

9. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।

10. मलबा निस्तारण (यदि कोई) वन विभाग की देख–रेख में किया जाएगा।

11. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन राज्य के निर्धारित विभाग/प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा एवं आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

12. वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गयी परियोजना की लागत का 05 प्रतिशत धनराशि को अभ्यरण क्षेत्र के बेहतर रख–रखाव के लिए खर्च किया जाएगा।

13. Atleast two water points will be constructed, in forest block Peermagra in consultation with DCF (Wildlife) Kota by user agency, to provide drinking water to wild animals. The regular water supply for purpose will be made by user agency free of cost 24 hours.

14. The State Govt. will ensure that water would be used for the bona-fide domestic use of the people, and will not be put to any commercial use.

15. As far as possible, the route alignment through forest areas should not have any deviation. Route of digital map should be followed.

16. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जनपद चित्तौरगढ के अन्तर्गत वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत जिलाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार ग्राम सभा की proceeding इस कार्यालय में उपलब्ध कराने के उपरान्त ही राज्य सरकार द्वारा वन भूमि के प्रत्यावर्तन की अधिसूचना जारी की जाएगी।

17. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वन महानिदेशक (एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–110003
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन, वानिकी पथ, जयपुर, राजस्थान ।
3. उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, भीलवाड़ा, राजस्थान।
4. मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, कोटा, राजस्थान।
5. अधिशासी अभियन्ता, जन स्वा0 अभि0 विभाग, चम्बल भीलवाड़ा परियोजना, खण्ड–प्रथम, भीलवाड़ा, राजस्थान।
6. राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश पत्रावली ।

(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक (के0)

22 98 109.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF FORESTS

No.F.1(61) Forest/2012

Jaipur, dated: 02-12-2014

ORDER

In reference to the clearance issued by MoEF, GoI vide letter No. 8B/Raj/08/18/2012/FC/1049 dated 08.10.2014 for the project proponent Executive Engineer, Public Health and Engineering Department for diversion of 4.798 ha. (Bhilwara - 1.350 ha., Chittorgarh- 3.448 ha.) forest area and Re-diversion of 3.60 ha. pre-reversion forest area for purpose of laying Drinking Water Pipe line under Chambal-Bhilwara Water Supply Project, Bhilwara. The State Government hereby accords Approval of Final stage clearance under Section 2 of the Forest (Conservation) Act with the following conditions:-

1. The conditions imposed by MoEF, GoI in their clearance date 08.10.2014 will be complied by all concerned.
2. This order along with conditions imposed by the Central Government according to stage I and stage II clearance are mandatorily required to be displayed in the website by State Forest Department as well as by MoEF, GoI.
3. The project proponent should publish the entire forest clearances granted in verbatim along with the conditions and safeguards imposed by the Central Government in Forest Clearance in two widely circulated daily newspapers one in vernacular language and the other in English language so as to make people aware of the permission granted to the project proponent for use of forest land for non-forest purposes.
4. The copies of the Forest clearance should also be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
5. Any other condition as and when imposed by the State Government.

sd/-
(C.S. Ratnasamy)
Secretary, Forest

Copy to the following for necessary compliance:-

1. Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Rajasthan, Jaipur.
2. Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Govt. of India, Kendriya Bhavan, Lucknow.
3. Sr. Assistant Inspector General of Forests, In-charge, Monitoring Cell, Forest Conservation Division, Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi – 110 003 - with a request to ensure uploading of the order passed by the State Government on the MoEF website.
4. Director, Regional Office (Headquarters), Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi 110 003
5. Addl. Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer (FCA), Rajasthan, Jaipur - with a request to get the order and clearances uploaded on the State Forest Department website.
6. Chief Conservator of Forests [illegible] Aravali Bhawan, J N Marg, Jaipur [illegible] uploading of the order and clearances on the State Forest Department website.
7. Concerned Regional Chief Conservator of Forests, Kota, Udaipur and Ajmer.
8. Deputy Conservator of Forests [illegible] and Ajmer.
9. Executive Engineer, Public Health and Engineering Department
10. Guard File

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 14( )2011/एफसीए/प्रमुवसं/ दिनांक:

मुख्य वन संरक्षक,
वन्यजीव, कोटा/उदयपुर/अजमेर ।

99 23 110.

विषय:–चम्बल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना हेतु 4.798 है0 (जनपद भीलवाड़ा–1.350 है0, चित्तौडगढ़ जनपद–3.448 है0) वनभूमि का प्रत्यावर्तन एवं 3.60 है0 पूर्व में जनपद भीलवाडा में एनएचएआई के पक्ष में प्रत्यावर्तित वनभूमि का रि–डायवर्जन बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत उप वन संरक्षक(केन्द्रीय), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 8 बी/राज/08/18/2012/एफसी/1049 दिनांक 08.10.14 एंव शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान जयपुर ने अपने पत्रांक एफ 1 (61) वन/2012 दिनांक 2.12.14 से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 4.798 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन तथा जिला भीलवाडा में 3.60 है0 वनभूमि का पुनः प्रत्यावर्तन एंव 1794 वृक्षों के पातन हेतु कुछ शर्तोधीन विधिवत स्वीकृति प्रदान की है। अतः निम्नांकित शर्तोधीन सम्बन्धित विभाग/संस्था को वन भूमि के उपयोग की अनुमति दे दी जावे। साथ ही पालना प्रतिवेदन एवं मोनेटरिंग रिपोर्ट भिजवाई जाए :–

1. भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र में अंकित समस्त शर्तो की कड़ाई से पालना की जावे।
2. भारत सरकार द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण की स्थापना में कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से दस वर्ष तक वृक्षारोपण क्षेत्र पर व्यय इसके विकसित होने तक किया जाता है। इस दौरान यदि दरों में किसी प्रकार की वृद्धि राज्य सरकार द्वारा की जाती है तो बढ़ी हुई दरें तथा जमा कराई गई दर के अन्तर की समतुल्य राशि (बचे समय के आधार पर) सम्बन्धित विभाग/संस्था को जमा करानी होगी ।
3. मुख्य वन संरक्षक स्तर पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना का प्रबोधन निरंतर किया जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक के क्षैत्र से संबंधित समस्त स्वीकृतियों का पृथक से एक रजिस्टर संधारित किया जावें ।
5. अनारक्षित भूमि की एवज में प्राप्त गैर वन भूमि को आरक्षित/संरक्षित वन घोषित कराने की कार्यवाही तत्काल आरम्भ की जावे एंव अधिसूचना की प्रति छः माह में इस कार्यालय को प्रेषित की जावेगी ।

संलग्न:–उक्तानुसार ।

भवदीय,
sd
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वनसुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए.,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ 14( )2011/एफसीए/प्रमुवसं/ 8849-55 दिनांक: 10.12.2014

प्रतिलिपि निम्न को भारत सरकार/राज्य सरकार के उक्त पत्रों की प्रतियां सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक एफ 1 (61) वन/2012 दिनांक 2.12.14 के क्रम में ।
2. मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी, अरावली भवन, जयपुर को प्रकरण में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक एवं विधिवत स्वीकृतियों की प्रतियां एवं राज्य सरकार के पत्र दि. 2.12.14 की प्रति प्रेषित कर लेख है कि राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त सं. 2 की पालना अपने स्तर से करने का कष्ट करे।
3. उप वन संरक्षक भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़/वन्यजीव मुकुन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त के साथ–साथ स्वीकृति के सम्बन्ध में निम्न निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करें:–

(1) मण्डल से संबंधित समस्त प्राप्त स्वीकृतियो के सम्बन्ध में पृथक से एक रजिस्टर में सूचना संधारित की जावे।

4. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड भीलवाड़ा।

संलग्न:–उक्तानुसार ।

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वनसुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए.,
राजस्थान, जयपुर।

F
10/12/14

4576
18/12/14

L:/Office documents/...